SDO सिणधरी

7.12.22 प्रार्थी की तरफ से वकील श्री अमरलाल चौधरी ने प्रार्थना-पत्र अपील प्रा: अनुमति के विलम्ब करने का जिक्र किया, जिस पर बहस सुना गया।

वादी वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण के हाथ से श्री मे पावर ऑफ एटॉर्नी के पावर [illegible] वाद मे सहखातेदारी अन्य पिताओं का उल्लेख जाना छूट रह गया, ऐसी स्थिति मे उक्त बात को विवेक [illegible] हुए प्रा: नामा वाद दायर करने की अनुमति प्रदान करावे।

इसके बाद वकील की बहस [illegible] पत्रावली का अवलोकन करते हुए न्यायहित मे वादी का [illegible] पर स्वीकार किया जाकर नये वाद पेश करने की [illegible] करते [illegible] वाद पत्र विवरण शामिल किया जाता है।

पत्रावली फैसल मुताबिक डिस्मिस किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:37:35 IST
Reason: SelfAttested

07/12/2022
सहायक कलेक्टर
SDO सिणधरी